न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– नेहा गिरि, आई.ए.एस. जिला कलक्टर धौलपुर

मुकदमा (अपील) नम्बर :– 01/2019 **(Rcms no: 2018/00002)**

उनवानी प्रकरण :–

1. रामनाथ पुत्र सुखलाल जाति मीना निवासी धोंधे का पुरा उप तहसील कंचनपुर तहसील बाडी जिला धौलपुर ——————अपीलान्ट।

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का ग्राम लखेपुरा उप तहसील कंचनपुर तहसल बाडी ——————रेस्पोडेण्ट।

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 25.10.2018 न्यायालय नायव तहसीलदार कंचनपुर 2/2018 उनवानी राज0 सरकार बनाम रामनाथ अंतर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधि0 1956

उपस्थिति :–

अपीलान्ट की ओर से :– श्री श्रीकान्त श्रीवास्तव अभिभाषक।

रेस्पोडेण्ट की ओर से :– श्री गोपाल नारायण शर्मा राजकीय अभिभाषक।

निर्णय दिनांक :–05.03.2019

निर्णय

अपीलान्ट द्वारा यह अपील नायब तहसीलदार उप तहसील कंचनपुर तहसील बाडी के निर्णय दिनांक 25.10.2018 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की है, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं, कि पटवारी हल्का ने आराजी खसरा नम्बर 899 रकवा 9 बीघा 9 विस्वा वाके ग्राम सूरोठी गैर मुमकिन रास्ता 4 विस्वा को जोत कर अतिक्रमण कर लिया है। अपीलान्ट ने उक्त आराजी पर जोतकर अतिक्रमण नहीं किया है। अपीलान्ट के विरूद्ध गलत व झूठी रिपोर्ट की गई है। पटवारी हल्का ग्राम के शिवनारायण वगैरा से मिला है तथा

नेहा गिरि
जिला कलक्टर धौलपुर

अपीलान्ट व उसके भाईयों पर नाजायज दबाव डालकर व हैरान परेशान करके अपीलान्ट व उसके भाईयों की खातेदारी की आराजी में से जबरन रास्ता की भूमि देने का दबाव बनाता है। जो उक्त भूमि से अलग है, जिसके बावत अधीनस्थ न्यायालय ने मौके की जांच विवादित जगह के कराने के आदेश दिये, परन्तु बिना कोई जांच के अपीलान्ट से यह कह कर कि नायब साहब की पोस्ट खाली है। तहसीलदार बाडी यहाँ आयेगें मौके का परवाना जाँच हेतु जारी होगा तथा तुम्हारी मौजूदगी में मौके की जाँच होगी तब उस दिन तारीख पेशी पटवारी के बयान व तुम्हारे बयान लेकर फैसल होगी। परन्तु कोई जाँच मौके की नहीं की मंगायी गई, न पटवारी के किसी दिनांक को बयान लिये वाला वाला उक्त फैसला कर दिनांक 25.10.2018 को अपीलान्ट को अवैध रूप से अतिकमी मानकर 1 माह के सिविल कारावास व पैनेल्टी से दण्डित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून व विधि के प्रति पादित सिद्धान्तों के विरूद्ध होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अपीलान्ट के जबाव के बाद अधीनस्थ न्यायालय ने मौके की रिपोर्ट मॅगानेका आदेश दिया परन्तु कोई मौके की रिपोर्ट मॅगाये वगैर पटवारी हल्का के कहे अनुसार फैसला पारित कर दिया जो अवैध है। अधीनस्थ न्यायालय में किसी भी दिन तारीख पेशी को पटवारी हल्का का बयान नहीं हुआ आर्डरशीट पर इसका हवाला नहीं है। वाला वाला पटवारी हल्का का बयान शामिल कर निर्णय पारित किया है, जो अवैध है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नही दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है अपीलान्ट को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया है। पटवारी हल्का ने दिनांक 27.12.2018 को अपीलान्ट को धमकी दी कि तूने मेरे करने से शिवनारायण वगैरहा को अपनी दीगर आराजी में से रास्ता नहीं दिया। इसलिये मैने बिना मौके की रिर्पोट के ही तुझे 1 माह की जेल व पैनेल्टी करा दी है। अपीलान्ट को फैसले की जानकारी हुई तथा उसी दिन नकल के लिये प्रार्थना पत्र पेश कराया तथा बिना किसी देरी से अपील प्रस्तुत की गई जो जानकारी दिनांक से अन्दर म्याद पेश है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.10.2018 निरस्त किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी कर तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। रेस्पोडेण्ट

नेहा गिरि
जिला कलक्टर धौलपुर

की ओर से श्री गोपाल नारायण शर्मा राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय से पत्रावली प्राप्त होने पर संलग्न पत्रावली की गयी।

अपीलान्ट ने अपनी अपील के समर्थन में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी निर्णय दिनांक 25.102018 की प्रमाणित प्रतिलिपि, प्रमाणित प्रतिलिपि रिपोर्ट पटवारी हल्का दिनांक 9.7.2018, प्रमाणित प्रतिलिपि जबाव गैरसायल मु0 न0 2/2018 सरकार बनाम रामनाथ, प्रमाणित प्रतिलिपि आर्डरशीट,फोटो एक, फोटो प्रति दावा शिवनारायण बनाम भगवानसिंह न्यायालय एस डी एम बाडी फोटो प्रति दावा भगवान सिंह शिवनारायण न्यायालय एस डी एम बाडी पेश की ।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों को दौहरात हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विवादित आराजी पर पश्चात्वती अतिकमी मानते हुए 1 माह के सिविल कारावास व जुर्माना राशि का निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना सुनवाई एवं बिना साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये एक तरफा निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने आर्डरशीट दिनांक 20.7.2018 में पटवारी हल्का से मौके की जांच रिर्पोट प्राप्त करने हेतु आदेश दिया, किन्तु बिना मौके की जांच रिपोर्ट प्राप्त किये निर्णय पारित कर दिया । पटवारी हल्का के बयानों को आर्डरशीट पर कोई हवाला नहीं है। पटवारी हल्का के बयान किस दिनांक को लिये गये है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किस दिनांक को तस्दीक किये गये है, स्पष्ट नहीं हैं । अपीलान्ट को पटवारी हल्का से जिरह का अवसर नहीं दिया गया है। अपीलान्ट का किसी भी सरकारी भूमि पर कब्जा काश्त नहीं हैं। पटवारी हल्का ग्राम के शिवनारायण वगैरा से मिला है तथा अपीलान्ट व उसके भाईयों पर नाजायज दबाव डाल कर व हैरान परेशान करके अपीलान्ट व उसके भाईयों की खातेदारी की आराजी में से जबरन रास्ता की भूमि देने का दबाव बनाता है। जो उक्त भूमि से अलग है जानकारी दिनांक से अन्दर म्याद पेश है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.10.2018 निरस्त किया जावे ।

रैस्पोडेण्ट के विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया, कि अपीलान्ट विवादित आराजी पर बार–बार अतिक्रमण करने

नेहा गिरि
जिला कलक्टर धौलपुर

का आदी है, जो पश्चात्वर्ती अतिक्रमी की परिभाषा में आता है, जिसकी पुष्टि पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं बयान तथा खसरा परिवर्तनशील से होती है। अपीलान्ट ने सम्वत् 2075 में भी अतिक्रमण किया था, जिसे बेदखल किया गया था। तथा अपीलान्ट ने अपना अतिक्रमण होना स्वीकार किया था तथा कब्जा छोडने एवं भविष्य में किसी भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने हेतु शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया था। इसके बावजूद भी अपीलान्ट ने पुनः अतिक्रमण किया है। विवादित भूमि गैर मुमकिन रास्ता की भूमि है, जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। अपीलान्ट ने झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.10.2018 यथाव रखा जावे ।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन कर मनन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि :–

1. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विवादित आराजी पर पश्चात्वती अतिकमी मानते हुए 1 माह के सिविल कारावास व जुर्माना राशि का निर्णय पारित किया गया है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर कोई साक्ष्य या दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं, जिससे अपीलान्ट को विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिकमी माना जा सके ।
2. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को साक्ष्य व दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया है। ना ही सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है।
3. अधीनस्थ न्यायालय ने आर्डरशीट दिनांक 20.7.2018 में पटवारी हल्का से मौके की जांच रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु आदेश दिया किन्तु बिना मौके की जांच रिपोर्ट प्राप्त किये निर्णय पारित कर दिया। जो कानूनन गलत है।
4. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आर्डर शीट पर पटवारी हल्का के बयानों का कोई अंकन नहीं है। पटवारी हल्का के बयान किस दिनांक को लिये गये है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किस दिनांक को तस्दीक किये गये है, स्पष्ट नहीं हैं ।
5. अधीनस्थ न्यायालय अपीलान्ट को पटवारी हल्का से जिरह का अवसर नहीं दिया गया है।

नेहा गिरि
जिला कलक्टर धौलपुर
जिला कलक्टर धौलपुर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना एवं अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 25.10.2018 को अपास्त किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.102018 अपास्त किया जाता हैं। पत्रावली इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रति प्रेषित (रिमाण्ड) की जाती है कि अधीनस्थ न्यायालय अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, निर्णय की प्रति के साथ वापिस भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 05.03.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नेहा गिरि)
जिला कलक्टर, धौलपुर